संख्या-55/2016/1417/71-2-16-एस-48/2012

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्या य़

संयुक्तम सचि़व

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्था2न,

सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या -83 से उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्था न, सैफई इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पे शियलिटी अस्प ताल हेतु भूमि के क्रय हेतु वित्तीनय स्वीकृति के सम्बमन्धग

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्यार- 54/2016/1416/71-2-16-एस-48/2012 दिनांक 30 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्ती-य वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या्-83 से उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्था न, सैफई इटावा में 500 बेडेड सुपरस्पे्शिलिटी अस्प8ताल हेतु भूमि के क्रय हेतु रू0 5,47,69,508/- (रूपया पांच करोड सैतालीस लाख उनहत्त्र हजार पांच सौ आठ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यवपाल महोदय निम्नलिखित शर्तोंप्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीककृत की जा रही धनराशि का व्ययउपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य् सरकार द्रारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्तर शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थारन की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा -निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बिन्धीा वित्तीजय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था /संस्थाकन के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण -पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्तग नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थाोन, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण , उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तापक्षर की आवश्य कताहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यासपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 201 5-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -83-समाज कल्याहण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्साक, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इंस्टीांट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड4 रिसर्च, सैफई इटावा- 24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 , दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं समाज कल्यागण विभाग के शासनादेश संख्याल-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याहय)
संयुक्ती सचिव।

संख्या- 55/2016/ 1417(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) जिलाधिकारी, इटावा।
3) कोषाधिकारी, इटावा।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी/वित्त् नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7) प्रबन्धध निदेशक/परियोजना प्रबन्ध क, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10) गार्ड फाइल।

।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तापक्षर की आवश्यऊकनहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यासपित की जा सकती है ।